न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 324/99

प्रकरण दर्ज तिथि :— 21.06.1999

जीसीएमएस नम्बर :— 2019/00274

वादीगण :— 1.लक्ष्मीनारायण पुत्र गोकुल
2. बंशीलाल पुत्र गोकुल
3. बजरंग पुत्र गोकुल जातिगण रा. राजपूत निवासी निम्बेडा कलां तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :— 1. चुतरा उर्फ चतुभुर्ज पुत्र गोकुल राजपूत निवासी निम्बेडा कलां
2. मांगीया पुत्र गणेश जाति पटेल
3. दीपाराम पुत्र सुखाराम सीरवी
4. अनाराम पुत्र सुखाराम सीरवी
5. डावरराम पुत्र सुखाराम सीरवी
6. नाथूराम पुत्र भेराराम सीरवी
7. शेषाराम पुत्र भेराराम सीरवी
8. मोहन पुत्र करमी नाबालिग माता जीमनदेवी बेवा करमी सीरवी निम्बेडा
9. दुरगा पुत्र गणेश सीरवी निम्बेडा कलां
10. पूना पुत्र गणेश सीरवी निम्बेडा कलां
11. गोपूराम पुत्र चन्दाराम
12. जस्साराम पुत्र चन्दाराम
13. जवान पुत्र हराजी
14. डावरराम पुत्र जोगा
15. देवाराम पुत्र जोगा
16. मादकी बेवा जोगा
17. पोकर पुत्र हराजी
18. गेपर पुत्र हराजी
19. जसा पुत्र हराजी जातियान कुमावत निवासी निम्बेडा कलां तहसील रायपुर
20. राजस्थान राज्य के जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2 श्री प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 13.01.2025**

वकील वादीगण ने राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सरहद मौजा निम्बेडा कलां मे ख.न. 479,478 रकबा 187 बीघा 2 बीस्वा व ख.न. 517 रकबा 20 बीघा 5 बीस्वा भूमि स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण स. एक चुतरा चारो सगे भाई है तथा गोकुलजी के पुत्र है वादीगण एंव प्रतिवादीगण स. एक ने मिलकर शामलात मे ख.न. 517 रकबा 20 बीघा 5 बीस्वा सम्पूर्ण भूमि तथा ख.न. 479 रकबा 185 बीघा 18 बीस्वा ख.न. 478 रकबा 9 बीस्वा मे से 1/8 वे हिस्से की भूमि लावूराम पुत्र गणेश जाति पटेल निवासी निम्बेडा कलां से रूपये 2000/—मै जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 29.12.70 को साझा हिन्दु परिवार के सम्मिलित कोष मे खरीद की थी लेकिन वक्त बेचान रजिस्ट्री एक ही भाई अर्थात् चतुभुर्ज जो कि उस समय अकेले ही व्यस्क सदस्य थे, के नाम से करवाई थी। इसी तरह ख.न. 517 रकबा 20 बीघा 5 बीस्वा भूमि को तीन अलग पंजीकृत विक्रय विलेखो के माध्यम से नथमल पुत्र नैनाराम, गोविन्दराम पुत्र मोहनलाल,धीसाराम,सुन्दरलाल पुत्र पन्नाजी एंव बंशीलाल पुत्र घेवर जाति शिखववाल निवासी निम्बेडा कलां से दिनांक 13.7.79 एंव 24.11.81 को हिन्दु अविभाजित परिवार के कोष से खरीद की थी। उक्त सम्पूर्ण खरीद की गई भूमि मे चारो भाईयो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

का बराबर हक व हिस्सा है तथा चारो बराबर भूमि पर काबिज है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर दिनांक 25.12.95 तक हम सभी भाईयो के साझा हिन्दु परिवार का आधिपत्य व हैसियत खातेदार रहा। सन् 1994 को बंटवाडे के प्रश्न को लेकिन विवाद खडा किया जिस पर चारो भाईयो ने स्वेच्छापूर्वक मौखिक पारिवारिक समझौता करके कृषि भूमि पर आपस मे बंटवारा कर जिसके अनुसार बेरा भेरजी वाला की कृषि भूमि ख.न. 479 रकबा 185 बीघा 18 बीस्वा मे जो आंठवा हिस्सा हमारे सम्मिलित परिवार का था। बेरा भेरजी वाला का सडा ख.न. 478 मे हमारे जो साझा परिवार का जो 1/8 हिस्सा है वह बेरा भेरजी वाला के कुंए के पूर्व तरफ आया हुआ है। जिसमे हम चारो भाईयो ने बंट करके क्रमश बजरंग, चतुभुर्ज, बंशीलाल,व लक्ष्मीनारायण ने अपने आवासीय मकान बना लिए है। इन मकानात के पूर्व मे जो 6 बीघा खाडी है उसमे हमारे साझा परिवार के 1/8 हिस्सा की जो 1 बीघा 10 बीस्वा कृषि भूमि आती है उसमे से 10 बीघा कृषि भूमि के चार बंट करके हमने अपने मवेशियो के लिए चार वाडे बनाए है जो हमारे मकानात के पूर्व मे स्थ्ति है जो क्रमश बजरंग, चतुभुर्ज, बंशीलाल,व लक्ष्मीनारायण के बंद मे रहे जिन पर इसी क्रम मे हमारा अधिपत्य है। बेरा भेरजी वाला के जाव ख.न. 479 मे हमारे साझा परिवार के हिस्से कि जो भूमि बची वह चतुभुर्ज, व बंशीलाल,के बंट मे रही जिस पर इन्ही दोनो भाईयो का कब्जा है। ख.न. 517 रकबा 20 बीघा 05 बीस्वा बजरंग,व लक्ष्मीनारायण के बंट मे रही।जिसके दो बराबर हिस्से मौके पर कर दिए गए। पूर्व तरफ का हिस्सा लक्ष्मीनारायण के बंट मे रहा जिस पर उसका एकाधिपत्य है तथा पश्चिम तरफ का हिस्सा बजरंग के बंट मे रहा जिस पर उसका एकाधिपत्य है। बजरंग के हिस्से मे आने वाली भूमि के दक्षिणी सीमा रेखा पर बेरा भेरजी वाला के सडे की बाड पुरानी बनी हुई स्थ्ति है जिसके समानान्तरण 10 चौडा रास्ता बजरंग ने लक्ष्मीनारायण को उसके हिस्से की भूमि मे जाने हेतु दिया जिसके बदले लक्ष्मीनारायंण इस रास्ते मे आने वाली जमीन अन्यत्र दे दी है। उक्त रास्ते की उतरी सीमा पर जो बजरंग के खेत की दक्षिणी सीमा रेखा से मिलती है उस पर बजरंग व लक्ष्मीनारायण आधे 2 खर्चे से कातले लगवा देंगे जिससे बजरंग के खेत की सुरक्षा रहेगी।हम सब भाईयो ने बाडा के अलावा पूर्वी तरफ की खाडी मे जो लगभग 1 बीघा कृषि भूमि भेरजी वाला बेरा के ख.न. 479 मे शेष बची जो बजरंग व लक्ष्मीनारायण को बराबर बांटकर देदी गई ओर उस पर चतुभुर्ज, व बंशीलाल का कोई हिस्सा नही रहा। वादग्रस्त भूमि ख.न. 479 व 478 की भूमि मे वादीगण व प्रतिवादी स. 1 का 1/8 वा हिस्सा प्रतिवादी स. 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी स. 3 से 7 का 1/8 वा हिस्सा प्रतिवादी स. 8 से 10 का 1/8 वा हिस्सा प्रतिवादी स. 11 का 1/4 वा हिस्सा प्रतिवादी स. 12 से 19 का 1/8 वा हिस्सा है तथा उसी अनुसार सभी काबिज है एंव काश्त कर रहे है तथा वादीगण एंव प्रतिवादी स. 1 वाद पत्र पद स. 2 मे दर्ज बंटवाडा अनुसार मौके पर आज दिन तक काबिज रहवास एंव काश्त कर रहे है जिसमे किसी भी प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज,आपत्ति नही है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात नही होने से प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करते है। अतः मापिक वाद दावा डिक्री फरमावे।

इस पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते जवाबदावा तलब किया गया परन्तु बावजूद इतला अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 10.08.99 को इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने दौराने बहस व्यक्त किया कि वर्तमान मे प्रतिवादी स. 1 की नियत खराब हो गई है। इसलिए प्रतिवादी स. 1 वाद पत्र के पद स. 2 मे दर्ज पारिवारिक समझौते का उल्लंघन कर वादीगणे के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे दखलअंदाजी कर रहा है जिसकी उसे कोई हक व अधिकारिता नही है। अतः माफिक वाद दावा डिक्री फरमावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पक्षकारान राजस्व रिकार्ड मे रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा आपसी समझौते से परिवारिक बंटवाडा कर मौके पर काबिज व काश्त करते है। अतः वादीगण घोषणा कराने, बंटवाडा कराने एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्राथमिक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा निम्बेडा कलां मे स्थित कृषि भूमि ख.न. 517 रकबा 20 बीघा 5 बीस्वा सम्पूर्ण एंव ख.न. 479 रकबा 185 बीघा 18 बीस्वा व ख.न. 478 रकबा 1 बीघा 4 बीस्वा के हिस्सा 1/8 वादी स. 1 से 3 व प्रतिवादी स. 1 का प्रत्येक का हिस्सा बहक 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे तथा उसी अनुसार वादीगण प्रतिवादी स. एक कम मध्य हिस्से का बंटवाडा रेकर्ड परिवारिक बंटवाडा व मौके की स्थिति के अनुसार बाई मिटस एंड बाउंण्डस बंटवाडा किया जाकर खाता व लगान अलग दर्शाते हुए बंटवाडा रिपोर्ट मे नजरी नक्शा बनाया जावे। तहसीलदार रायपुर को बंटवाडा करने हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राथमिक ड्रिकी पृथक से बनायी जाकर पत्रावलीबद्व की जावे। तहसीलदार रायपुर को प्राथमिक डिकी व पारिवारिक बंटवाडा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगायी जावे।

प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2025/66 दिनांक 09.01.2025 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्तांव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा निम्बेडा कलां पटवार हल्का निम्बेडाकलां के खसरा नम्बर 517, खसरा नम्बर 479 एवं खसरा नम्बर 478 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादीगण :– 1.लक्ष्मीनारायण पुत्र गोकुल
2. बंशीलाल पुत्र गोकुल
3. बजरंग पुत्र गोकुल जातिगण रा. राजपूत निवासी निम्बेडा कलां तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. चुतरा उर्फ चतुर्भुज पुत्र गोकुल राजपूत निवासी निम्बेडा कलां
2. मांगीया पुत्र गणेश जाति पटेल
3. दीपाराम पुत्र सुखाराम सीरवी
4. अनाराम पुत्र सुखाराम सीरवी
5. डावरराम पुत्र सुखाराम सीरवी
6. नाथूराम पुत्र भेराराम सीरवी
7. शेषाराम पुत्र भेराराम सीरवी
8. मोहन पुत्र करमी नाबालिग माता जीमनदेवी बेवा करमी सीरवी निम्बेडा
9. दुरगा पुत्र गणेश सीरवी निम्बेडा कलां
10. पूना पुत्र गणेश सीरवी निम्बेडा कलां
11. गोपूराम पुत्र चन्दाराम
12. जस्साराम पुत्र चन्दाराम
13. जवान पुत्र हराजी
14. डावरराम पुत्र जोगा
15. देवाराम पुत्र जोगा
16. मादकी बेवा जोगा
17. पोकर पुत्र हराजी
18. गेपर पुत्र हराजी
19. जसा पुत्र हराजी जातियान कुमावत निवासी निम्बेडा कलां तहसील रायपुर
20. राजस्थान राज्य के जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा निम्बेडा कलां पटवार हल्का निम्बेडाकलां के खसरा नम्बर 517, खसरा नम्बर 479 एवं खसरा नम्बर 478 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

.... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व नीज...................... ....मुवलिक.............. ....बाबत्............ शहर ....फीसदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बरिज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.01.2025 को जारी किया गया।

गुलाबसिंह
(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान			
मीजान		12	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

गिलाबसिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)